

१

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या: पॉच- ॥।।।(उनिमीसी०मा०-2011)2019 दिनांक: मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री नीरज सिंह राजपूत पुत्र स्व० राम नारायण सिंह राजपूत  
 अनुक्रमांक-429110380  
 निवासी-ग्रम मल्हपुर(बद्रीकेदार) पो० उदहिन बुर्जुग  
 थाना मोहब्बतपुर पाइन्स जनपद कौशाम्बी 212217


**टिप्पणी:-** उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: ११३७०/२०१८ आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०निमी०प०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०निमी०प० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुप्युक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण हीद में छोड़कर छले जाने, अद्यान्ति अंदर सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्त) एवं २२६ अन्मरे पदों सहित कुल-८३३ पदों के सापेक्ष ७६९ (६८५ उ०निमी०प० + ८४ प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीडी-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६८५ उ०निमी०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उप्युक्त अभ्यर्थियों के आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो अ०८०८०१० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नान्जुडीशियल स्टाम्प देपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शापथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य निम्नानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे; इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपस्थान की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्ननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
२०३.२०

पुलिस उपनिरीक्षक, अपराध/कार्रिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रत्यक्षित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के वृत्तिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** स्वरूप पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटो-एफ जैसे उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता फैल जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यदाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैच- ।।। (उनिनोसीभ०-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री राजकुमार पुत्र श्री अशोक कुमार  
अनुक्रमांक-424100410  
निवासी-ग्राम मानकजूड़ी पो० जलालपुर धना  
थाना अमरोहा देहात जनपद-अमरोहा 244221

विषय:-

उपनिरीक्षक न०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निनोप०/प्लाटून कमाण्डर दीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निनोप० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्रयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर चले जाने अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निनोप० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरटीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निनोप० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उप्रयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अटगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न०प० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो ऑर्डरी 0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, डिस्टर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये ग्राम्य-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नान्जुड़ीश्यल स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबधों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

*२-३-२०*  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अमरोहा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके ग्राहित कराये तथा उसके सम्बन्ध में सूचित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्राली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है कि कृपया अनुरोध है कि पत्राली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा दिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई मिलान/प्रतिकूलता जई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्ब प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्राली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतला, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या: पॉच-111 (उनिनोसीभा-2011) 2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री नन्हे सिंह  
 अनुक्रमांक-439080538  
 निवासी-ग्राम-सत्तोनगली पोरा व थाना स्पोहारा  
 जनपद बिजनौर 246746


**विषय-** उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्टिल अपील संख्या 11370/2018 अलोक कुमार सिंह ट अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिनोसीभा-पु०/प्लाटून कमाण्डर श्रीसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिनोसीभा-पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नार्नी याई रिक्त) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिनोसीभा-पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का दद्यन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं ग्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: श्रीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिनोसीभा-पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चदन के पश्चात् बेस्टिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, डिस्टर अदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कम्प्लेन रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशिटल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से स्त्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णलेख अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देट नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यालयी चदन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्यता न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
 7-3-20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
 उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि टे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस ज्ञ की एक प्रति उसे हस्तगत करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेक को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के वृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यालयी हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई मिलान/प्रतिकूलता पई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अस्त विविध अभ्यर्थी के अन्दर अन्य अभ्यर्थी के अन्दर अन्य अभ्यर्थी की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पौच- ।।।(उ०नि०सी०म०-2011)2019

दिनांक:मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री प्रशान्त कुमार पुत्र श्री पपेन्द्र सिंह  
अनुकमांक-439100185  
निवासी-ग्राम-फिरोजपुर मुबारक उर्फ नया गौव  
थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 246764

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०प०/प्लाटून कमाण्डर ई-सी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नाहीं गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०प० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोमोशन बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में सह रुडांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से स्त्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे, इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपसन्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय चायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में परित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध / कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस एत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का काष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुशादाबाद प्रशिक्षण को दिनांक 16-03-2020 से प्रबलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की नोई भिन्नता/प्रतिकूलता फैई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय के अवगत करते हुये अप्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अद्वेतर कार्यदाही की जाए।  
संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

ठाकर-1, चतुर्थतल, सिंगनेवर बिन्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- ।।। (उ०नि०सी०म०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री डाल चन्द्र  
अनुकमांक-439050394  
निवासी-ग्राम-अलावरपुर पो० बकैना  
थाना चौदपुर, जनपद-बिजनौर 246736

विषय:-

उपनिरीक्षक न०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अर्डील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०सी०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत दद्यन्ति अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर दद्यन्ति 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०सी०पु० के पद पर दद्यन्ति 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अच्छन्ति अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने अदि के कारण मन्त्री नहीं रिक्त) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०सी०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का दद्यन्ति उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोफेसियल बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-८-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के कारण उ०प्र० 685 उ०नि०सी०पु० के पद पर दद्यन्ति अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अद्गत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित दद्यन्ति उपनिरीक्षक न०पु० के पद पर दद्यन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में फास्पोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस रुदांस, एहनने के बस्त्र, बिस्तर अदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका दद्यन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेलराइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानुज्डीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे; इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का धूर्णलेण अनुपालन किटा जायेगा। प्रशिक्षण के सभ्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्रात्त करेंगे; इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही दद्यन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नानीद न्यायालय में योजित विभिन्न रिट दायिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदत्त प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यालय हेतु।

प्रतिलिपि:-स्वास्थ्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्राली संलग्न कर अप्रेटर कार्यालय हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्राली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन करायित जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्बूर्ज तथ्यों से पुलिस मुख्यालय के अन्तर कराये हुये अग्रेम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेटर कार्यालयी की जाए।

संलग्नक-मूल पत्राली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर विलिंग, गोमतीनगर प्रस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच-111 (उ०नि०सी०भ०-2011) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री आदेश कुमार पुत्र श्री फूल सिंह  
अनुक्रमांक-424260111  
निवासी-ग्राम-व पो० सरकड़ा खास  
थाना मूढ़पाण्डेय, जनपद-मुरादाबाद 244001

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह ट अन्ट में सा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०प०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मार्दी गदी रिक्त) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०प० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् दैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 के साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 में से एकदांस, पहनने के दस्त, दिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेलराइट एवं इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नान्जुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबद्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्री न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

20-3-20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश:

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कर्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेन्ड्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के उक्त अभ्यर्थी की मूल ज्ञानाली संलग्न कर अप्रेटर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि एप्राइली एवं उपलब्ध अभ्यर्थी, की जेटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाए। यदि किसी ब्रकार की कोई निलाता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अटार कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर उप्रेतर कार्यवाही की जाए। संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

ठाकर-1, चतुर्थीतल, सिग्नेंचर विलिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- ॥।(उनिमीमो-2011)2019 दिनांक:मार्च २, 2020

सेवा में,

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह  
अनुक्रमांक-424250450  
निवासी-ग्राम-सोनकपुर हरथला दैनिक जागरण  
के पीछे गली न01 मुरादाबाद थाना मुरादाबाद  
जनपद-मुरादाबाद 244001

विषय-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्टिल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह द अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निमा०पु०/प्लाटून कमाण्डर यीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निमा०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुष्टुक्त, अनुस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर छते जाने, अद्यनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों स्हित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निमा०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीटी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निमा०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपषुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती दर्श 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेंस रुपवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानुजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नेटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुधालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार रस्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की स्मार्ट कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में घोजित दिमिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश;

**प्रतिलिपि:-** उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की स्मार्ट कार्यवाही चयन प्रक्रिया के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुदे इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कराये तथा कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/चपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेन्ट्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदत्त प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्राठरी संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली घर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में किया जाए तथा स्मृत तथों से पुलिस न्यायालय को अटान्त कराते हुदे अधिन देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही ली जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

ठावर-1, चतुर्थीतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गामतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच-11। (उनिनोसीभ०-2011)2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में:

श्री पवन कुमार पुत्र श्री किशन लाल  
अनुकमांक-424260266  
निवासी-ग्राम-नया गाँव निकट 23 पीएसी मुरादाबाद  
थाना सिविल लाइन्स, जनपद-मुरादाबाद 244001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा०० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिनोसीपु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिनोसीपु० के एवं पर चयनित 537 (जो अनुषुक्त, अनुपस्थित, अभियोग नंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण हीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अथवा स्टॉप हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे उदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिनोसीपु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उप्रो० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टेटी डोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरसीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिनोसीपु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपषुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् ऐसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, एहनने के बस्त्र, दिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अस्थर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेलसाइट पर इस सम्बन्ध में दिदे गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐप्स पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिदे जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रान्तरीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्यक्रम  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सुहित हस्ताक्षर प्रस्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनारूप एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर एवं उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि इन्हाँ अप्राप्ति अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिलता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अस्त अप्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।  
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

ठाकर-1, चतुर्थतल सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- 11(उनिमीमा-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सुशील कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह  
अनुक्रमांक-439020717  
निवासी-ए/ 7 आदर्शनगर(तातारपुर लालू) नजीबाबाद  
थाना नजीबाबाद जनपद-बिजनौर 246763

दिष्ट:


उपनिरीक्षक नामो/स्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्टिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में नाम उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित मिर्ज दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिमीमा-पुलिस स्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थीदों में से स्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिमीमा-पुलिस के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण ईच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने अदि के कारण मानी गयी रिक्विज) एवं 226 अनन्तर जदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिमीमा-पुलिस स्लाटून कमाण्डर) का दयन परिणाम उप्रो पुलिस भर्ती एवं प्रोमोटि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिमीमा-पुलिस के पद पर चयनित अभ्यर्थीयों में से उपयुक्त अभ्यर्थीयों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अदावत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामो के पद पर चयन के पश्चात् डेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से रुपयां संघर्षन के बस्त्र, बिस्तर अदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्तर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित निटमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्री न्यायालय में दोजित दिविन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपनिरीक्षक, अपराध/कानूनिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस एवं की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुशाबाद परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यालय हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रदली संलग्न कर अंग्रेतर कार्यालय हेतु प्रेषित की जा रही है, कृपया अनुरोद्ध है कि पत्रदली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये; यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमाद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अंग्रेतर कार्यालयी की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पैच- 111(उनिनोसीभ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अमित कुमार उज्जवल पुत्र श्री अर्जुन सिंह  
अनुक्रमांक-477040504  
निवासी-ग्राम-पो० मवीकला थाना बालैनी  
जनपद-बागपत-250606

घिषण:-


उपनिरीक्षक नां००४०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-२०११ के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में माँ० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा घासित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ००५००३००४०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-२०११ के अन्तर्गत चयनित अन्दरियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ००५००३००४० के पद पर चयनित 537 (जो अनुष्टुक्त अनुष्टुक्ति, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथदा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभ्यर्थी पदों सहित कुल-833 पदों के साथ 769 (685 उ००५००३००४० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ००४० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टेट बोर्ड, लखनऊ के पद संख्या:आरपीबी-भ-५७५/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप 685 उ००५००३००४० के पद पर चयनित अन्दरियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नां००४० के पद पर चयन के पश्चात् देसिक प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रशान्तपत्र/अन्य प्रशान्तपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में यास्पोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के सम्बन्ध प्रत्युत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी वयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की देवसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमश रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यपित करकर एवं पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित गिरिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
२०३.२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति के दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित स्थाने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वारित कार्यालय हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल एव्राली संलग्न कर अद्वेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि एत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अद्वेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच-111(उनिमित्त-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा मे.

श्री अंकुश चौधरी पुत्र श्री राजकुमार  
अनुक्रमांक-453010027  
निवासी-ग्राम-680 भुपेन्द्र पुरी मेन रोड  
कृष्णाकुञ्ज कालोनी त्रिबुडा रोड मोती नगर  
जनपद-गाजियाबाद-201204

विषय:-

उपनिरीक्षक नामुना/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिति अपील संख्या: 1370/2018 अलोक कुमार तिंह व अन्य में मात्र उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा लाइट निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिमित्त-2000/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिमित्त-2000 के पद पर चयनित 537 (जो अनुदृक्त, अनुस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण हीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा संदेह हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्य घटों सहित कुल-833 घटों के सापेक्ष 769 (685 उनिमित्त-2000 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उनप्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोफेशनल ड्रेस, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-कु.376/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिमित्त-2000 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उन्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामुना के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त ईक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्टीजन संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवास, पहनने के दस्त, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रेमुख के सम्बन्धित करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिए गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित करकर शापथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा; प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याविकाओं ने पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

203-20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अमिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, भेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अमिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पॉच- ।।।(उ०नि०सी०भ०-2011)2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा मे.

श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक-477040430

निवासी-ग्राम-पो० मागौर तह० खेलड़ा थाना चॉदीनगर

जनपद-बागपत-250101

दिशा-


उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाट० कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्टिल अदील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०प०/प्लाट० कमाण्डर दीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत दद्यनित अभ्यर्थियों में से प्लाट० कमाण्डर के दद दर दद्यनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०प० के एवं पर दद्यनित 537 (जो अनुपदुक्त, अनुजित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अद्यनित अथवा सेटा हैंतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सारेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०प० + 84 न्यायालय कमाण्डर) का दद्यन वरिष्ठ उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोफ़ेशनल बोर्ड लखनऊ के एवं संख्या: दीआरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०प० के एवं पर दद्यनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अद्यगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित दद्यनित उपनिरीक्षक ना०प० के एवं उर दद्यन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हैंतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हैंतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव ऐं दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक द्रव्यालय/अन्य प्रमाणपत्रों की नूल प्रति फोटो आईडॉल एवं पर्याप्त सख्ता में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हैंतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका दद्यन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिए गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नान्युडीशियल स्टाम्प एपर दर अकित कराकर तथा नोटरी से स्तापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हैंतु कोई यात्रा भत्ता देट नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही दद्यन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्यता वाले न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हैंतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिसेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हैंतु:

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की नूल एत्रली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हैंतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुसोध है कि पत्रादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका घिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पांच- ।।।(उ०नि०स०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रनवीर सिंह  
अनुक्रमांक-439190205  
निवासी-ग्राम-व पो० खदाना तह० अनुपशहर  
जनपद-बुलन्दशहर-203394

दिष्ट-

उपनिरीक्षक ना०पु०/स्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्टिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में प० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परिए निर्पाय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/स्लाटून कमाण्डर ईरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से स्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपशुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अद्या सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के स्टेक्स 769 (685 उ०नि०ना०पु० + 84 स्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं ग्रेन्ड बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीआ०-१-३३५/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तरलय 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपशुक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् देसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल उठने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पार्सीत संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, एहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित लगाकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना हुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिदन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दोजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

2.20  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति को दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**सरथा प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रदली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रदली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमाद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- ।।।(उ०नि०सी०८०-२०११)२०१९

दिनांक:मार्च ७, २०२०

सेवा में

श्री किशोर कुमार पुत्र श्री चेतराम सिंह

अनुक्रमांक-453050156

निवासी-ग्राम-बी 54 नन्दग्राम मरियम नगर थाना सिहानी गेट

जनपद-गाजियाबाद-201003

विषय:-


उपनिरीक्षक न००४०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-२०११ के सम्बन्ध में स्थिरिल अपील संख्या ।।।१३७०/२०१८ अलोक कुमार सिंह व अन्य मेरा ०० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०नि०ना०८०/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-२०११ के अन्तर्गत दर्यनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०८० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुपर्युक्त, अनुपस्थित, अभियोग घोषिकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण छींच में छोड़कर छले जाने, अद्यनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अन्यरे पदों सहित कुल-८३३ पदों के सांकेत ७६९ (६८५ उ०नि०ना०८० + ८४ प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०८० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टिंग बोर्ड, लखनऊ के ज्वर संस्थानीआरपीडी-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६८५ उ०नि०ना०८० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपर्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती वर्ष २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न००४० के पद पर चयन के दश्चात् डेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन जी सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज १० फोटो/रूपया ४००० मेस एड्डांस, पहनने के वस्त्र, डिस्टर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के स्मक्ष प्रस्तुत करना होगा। बढ़ि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो ज्वर चयन / अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमश: रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं इतिवन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमनुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देण नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त ली समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
२-३-१०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हेतु:

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्राली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्राली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा दिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई निन्ता/प्रतीकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यदाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्राली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पैच-111(उनिनी०सी०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेटा में

श्री संजीव चौधरी पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह

अनुक्रमांक-477210339

निवासी-ग्राम-भगवानपुर पो० लावड थाना इन्वौली

जनपद-मेरठ-250222

ठिक्कार-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिदिल अपील संख्या 11370/2018 आलेक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम चायालाइ नई दिल्ली द्वारा जारी निर्णय दिनांक 27-11-2018 पर, 27-07-2019 के द्वारा उ०निनी०पु०/प्लाटून कमांडर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निनी०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुशिष्ट, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर छले जाने, अद्यनित अध्ययन सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे दबों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निनी०पु० + 84 प्लाटून कमांडर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्नति बोर्ड, लखनऊ के अनुसारी संख्या:पीआरईही-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निनी०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-३७३(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 के साथ आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की झूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना भूलनेके रखें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का धूर्घलेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमनुसार स्टाइलेण प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्नीय मुख्यालय में याजित दिनिन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

3.20  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृन्तु उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने त्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कराया तथा अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिषेक को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि एकादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की जेटेप्रेफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अप्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या-पॉच-11। (उनिनोसी०म०-२०११) 2019

दिनांक: मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री शुभेन्द्र सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक-437090222

निवासी-ग्राम-छवड़िया तहो सरखना थाना सरखना

जनपद-मेरठ-250342

ठिक्कांसा:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निनो०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निनो०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त अनुसन्धित अभियांग प्राप्ति के कारण मारी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निनो०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० उलिस भर्ती एवं प्रोफैल बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-आरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-08-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तर पर 685 उ०निनो०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात नैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की रूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो अर्डी०१० एवं पर्याप्त संख्या में पासवर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित दिनिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

३०२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संख्या प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अद्वेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अद्वेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पाँच- ।।। (उनिमित्त-2011) 2019

दिनांक: मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री सचीन कुमार पुत्र श्री सुदेश कुमार  
अनुक्रमांक-477130307  
निवासी-ग्राम-व पो० काठा तह० खेकड़ा थाना बागपत  
जनपद-बागपत -250609

दिव्यय:-

उपनिरीक्षक नां०५०/लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-२०१ के सम्बन्ध में सिद्धि अपील संख्या ११३८०/२०१८ आलोक कुमार सिंह व अन्य में मां० उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उनिमित्त-५००/लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-२०१ के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उनिमित्त-५०० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुप्युक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अनमरे पदों सहित कुल-८३३ पदों के सांकेति ७६९ (६८५ उनिमित्त-५०० + ४४ लाटून कमाण्डर) का चयन परियाम रु०५० पुलिस भर्ती एवं प्रोफॉल बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या नीआरपीई-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६८५ उनिमित्त-५०० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने से उपद्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती वर्ष २०१ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नां०५० के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक २६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षणिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, कोटों अर्ड०५०० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया ४००० में सह रुपयांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुड़ीशीयल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवर्धनों का दूर्घारेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई दाता भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीद न्यायालय ने योजित दिभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

२३-२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** सरथा प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिलता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- ।।(उ०नि०सी०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक-439190403

निवासी-ग्राम-भैसाखुर तह0 स्थाना थाना वीबी नगर

जनपद-बुलन्दशहर-245411

ठिक्कां

उपनिरीक्षक ना०५०/लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: १३७०/२०८ आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्दिष्ट दिनांक 27-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०नि०ना०५०/लाटून कमाण्डर टीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०५० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुच्छुक अनुपस्थित, अभियोग घंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अध्यक्ष सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अन्मरे पदों स्थित कुल-८३३ एवं के सापेक्ष ७६९ (६८५ उ०नि०ना०५० + ८४ लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०५० पुलिस भर्ती एवं प्रोफेसियल बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-५-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप ६८५ उ०नि०ना०५० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-४-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती वर्ष २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०५० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक १६-०३-२०२० से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १६-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन की रुचना दें।

आप अपने साथ समस्त ईकॉल एवं प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्किंस संस्कृत संख्या में फास्पोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया ४०० मेंस रहदानांस, पहनने के टस्ट्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इहें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमश: रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित करकर शायद पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाएगा; प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देण नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यालयी चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित दिभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

२३-२०  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के स्थान प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रचलित नियम में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली एवं उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता याई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा तस्वीर तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवही जी जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश<sup>226010</sup>  
टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-

टावर-१, चतुर्थतल, सिंगनवर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहराद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- ।।।(उ०नि०सी०भ०-2011)2019 दिनांक:मार्च २, २०२०

३०८

श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री रकम सिंह  
अनुक्रमांक-437080134  
निवासी-ग्राम-सैफपुर फिरोजपुर डाऊ मेडिखुर्द तहसील मवाना थाना बहसुमा  
जनपद-सेरठ-250404

विषय:-

उपनिवेशीक ना०प्र०/लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-२०१ के सम्बन्ध में सिविल अपैल सख्ता ११३७८; २. ४ अलैक कुमार सिंह व अन्य मैं ना० उच्चतम न्यूयार्लय नई दिल्ली द्वारा जरिए निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०नि०ना०प०/लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-२०१ के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अन्तर्गत वथा उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर घले जाने, उच्चनित अद्वद सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अन्तर्गत पदों सहित कुल-४३३ पदों के सापेक्ष ७६९ (६८५ उ०नि०ना०प० + ८४ लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं ब्रोन्टि डोर्ड लखनऊ के पद सख्ता-ए-अर्टी-बी-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के जलसरलप ६८५ उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधिकारमूल प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशलद, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सन्मिलित चयनित उपनियोगिक नं 1050 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उनाव में दिनांक 16-03-2020 से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आतमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी<sup>०</sup> रुपं पर्याप्त संख्या में जास्पोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अध्यर्थना निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश यूनिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप<sup>०</sup> पर 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल रस्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित करकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियम नुसार स्टाइलेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यदाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय व्यवालय में योजित विभिन्न रिट एचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

१-३-२०

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिनिधि:-** पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक, मेरठ दस्क्यूट के दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सवालनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हैं।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल दत्तवली संलग्न कर अग्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि एत्रावली पर उल्लङ्घ अभ्यर्थी की फोटोग्राफ़ से उसका मिलान कर लिया जाए। इदि किसी प्रलाप की कोई मिलता /प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा उन्हें तथ्यों से पुलिस मस्ट्रालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा दिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यदाही की जाए।

## संलग्नक—मूल पत्रावली (सभी अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- ।।।(उनिनोसी०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च ७, 2020

सेवा मे.

श्री बिनोद यादव पुत्र श्री महावीर यादव

अनुक्रमांक-423100335

निवासी-ग्राम-म०न० ८/९५८ गली न०-३ आदर्श नगर मोदी नगर गाजियाबाद

जनपद-गाजियाबाद-211204

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिर अपील संख्या ११३७०/२०१८ अलोक कुमार सिंह व अन्य में ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०निनोसी०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०निनोसी०पु० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण छीच में छोड़कर ढले जाने, अद्यनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि ले करण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अनभवे पदों सहित कुल-८३३ पदों के संभेद ७६९ (६८५ उ०निनोसी०पु० + ४४ प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प० पुलिस भर्ती एवं प्रोफेशनल बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरई-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप ६८५ उ०निनोसी०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराता है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती दर्श २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक १६-०३-२०२० से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को साथ कल अपने आगमन ती उचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो अईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज १० फोटो/रुमया ४००० में से एडवांस, पहनने के दस्त, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित करकर शब्द पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाएगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार रस्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में घोषित विभिन्न रिट याचिकाओं में परित होने वाले नियम के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्रिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ देखित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अग्निलेखों में सुरक्षित रखने का कद करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिषेत्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रदर्शि प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि ज्ञानाली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अद्विदिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अग्निलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- ।।।(उ०नि०स०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अमर राणा पुत्र श्री कृष्णपाल  
अनुक्रमांक-477020253  
निवासी-ग्राम-धरौरा सिलवर नगर थाना बिनौली  
जनपद-बागपत-250611

दिप्य:-


उपनिरीक्षक न०४०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में टिटिल अपील संख्या ।।।३७०/२०१८ आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०स०भ०/प्लाटून कमाण्डर ईएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत द्यनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०नि०स०भ० के पद पर द्यनित ५३७ (जो अनुपयुक्त, अनुरक्षित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण छैच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अन्मरे पदों तहित कुल-८३३ पदों के सापेक्ष ७६९ (६८५ उ०नि०स०भ० + ८४ सारून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:आरपीडी-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप ६८५ उ०नि०स०भ० के पद पर द्यनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारमूल प्रशिक्षण करादे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती द्वर्ष २०११ से सम्बन्धित द्यनित उपनिरीक्षक न०४० के पद पर चयन के दशात् बेस्टिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को साथं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ जमास्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पंयाम् संख्या में एस्पोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया ४००० नेस एडवांस, यहनने के दस्त्र, दिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुड़ीशिष्ट स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमनुसार स्टाइपेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यदाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मननीय दस्तावेज़ द्वारा योजित रिमिन्स्ट रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपथ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कर्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिषेक्ट्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था: प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि उक्त वाली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्मूर्ख तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करादे हुये अग्रिम दिशा निदेश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यदाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पॉच- ।। (उनिनो०८०८०-२०११) 2019

दिनांक: मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री सुभाष चन्द्र वर्मा पुत्र श्री रवीन्द्र सिंह  
अनुक्रमांक-439190337  
निवासी-ग्राम-व पो० कनौना तह० स्थाना थाना खानपुर  
जनपद-बुलन्दशहर-245405

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०८०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-२०११ के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: ।।१३७०/२०१८ आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ रव० २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०निना०८०/प्लाटून कमाण्डर दीएसी सीधी भर्ती-२०११ के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०निना०८० के एवं पर चयनित ५३७ (जो अनुपद्युत, अनुपस्थित, अनिवोग घंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अनमरे ददों सहित कुल-८३३ ददों के सापेक्ष ७६९ (६८५ उ०निना०८० + ४४ प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०८० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टेज बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपी-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तरूप ६८५ उ०निना०८० के एवं पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती वर्ष २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०८० के पद पर चयन के पश्चात् देसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं प्लाटून संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की एवं सेवा देख साइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से क्रमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करकर तथा नेटरी से स्त्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित निदेशों एवं प्रतिवर्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय निदेशालय में योजित दिनिन्दिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इन निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अमिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रद्युम्नित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुग्रहोदय है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अटगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अमिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- 111(उनिनोसीभ०-2011)2019 दिनांक:मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री शैलेन्द्र गिरि पुत्र श्री सत्यप्रकाश गिरि

अनुक्रमांक-439160319

निवासी-ग्राम-मुल्लानी पो० घुरावली थाना जहाँगीराबाद

जनपद-बुलन्दशहर-202394

दिष्ट-


उपनिरीक्षक नांपु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिर अंडील संख्या: 11378, ०३ अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिनोसीभ०/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिनोसीपु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्रदृत अनुस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर दले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिनोसीपु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उनप्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोफेशनल बोर्ड लखनऊ के द्वारा संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तरप० 685 उनिनोसीपु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपदृत अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नांपु० के पद पर चयन के पश्चात् गोस्किप्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में यास्पोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की डेसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्राकृति एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से स्तम्भित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवर्द्धों का पूर्णसूचेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देट नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश...

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस एवं की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अस्थर्थ की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आनंद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा अस्थर्थ तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश ग्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनचर बिलिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉव-11।(उ०नि०सौ०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री धीरज कुमार पुत्र श्री जयसिंह

अनुक्रमांक-477210423

निवासी-ग्राम-डालू हेडा उर्फ ढिलौरा पो० मोहम्मदपुर धूमी थाना जानी

जनपद-मेरठ-250626

विषय:-

उपनिरीक्षक न०प०/प्लाटून कमाण्डर सैद्धी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिल अधीक संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्णय दिनांक 27-1-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०सौ०प०/प्लाटून कमाण्डर शीर्सी सैद्धी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थीयों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०सौ०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपसुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पर्जीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण फैच में छोड़कर छले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमेर पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०सौ०प० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एंट्रेनिंग फोर्ड, लखनऊ के पड़ संख्यायीआर्सीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के फलस्तर पर 685 उ०नि०सौ०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थीयों में से उपसुक्त अभ्यर्थीयों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सन्दर्भ में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न०प० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उनाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साय कल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त ऐकिक प्रमाणांक/अन्त प्रमाणांकों की मूल प्रति, फोटो आई0डॉ० एवं पर्याप्त संख्या में यासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपमा 4000 में से एडांस, यहनने के बस्त्र, फिस्टर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1, 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशिट्स रुपाय पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिक्रियों का पूर्णस्तेप अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में भास्तीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उनाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अमेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अन्तर्गत की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमेत प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा संबूफ्त तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अमेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच-11।(उ0निनो०८०-२०११)२०१९ दिनोंकामार्च ३, २०२०

सेवा में

श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार  
अनुक्रमांक-453010506  
निवासी-ग्राम-म०न० 426 गली नं०-७ अम्बेडकर नगर धुकना थाना सिहानी गेट  
जनपद-गाजियाबाद-201001

ठिएट-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निनो०८०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निनो०८० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्युक्त अनुपस्थित अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के संघेक्ष 769 (665 उ०निनो०८० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोफेशनल बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निनो०८० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उप्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् छेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 के साथ कल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रणालेवार/अन्य प्रणालेवार की मूल प्रति फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 कोटी/रुपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प फैबर पर अंकित करकर तथा नोटरी से स्वाक्षरित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुडालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यदाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में गोप्तित दिमेन्सिट याचिकाओं में यापित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अन्वराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति एवं उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिषेक को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई मिन्ता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्गत कराते हुये अद्वितीय दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यदाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-१, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- ॥।(उ०नि०सी०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री सचिन भाटी पुत्र श्री नरेन्द्र भाटी

अनुक्रमांक-423060210

निवासी-ग्राम-व पो० देवठा तह० सदर थाना दमकौर

जनपद-गौतमबुद्धनगर-203202

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दरित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०सी०पु०/प्लाटून कमाण्डर ईरेसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०सी०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर छले जाने, अच्छन्नि अद्यता सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे ददो स्थित कुल-833 पदों के संघेष 769 (685 उ०नि०सी०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०सी०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सन्दर्भ में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उनाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साठ कल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, पहनने के दस्त्र, दिस्तर आदि लेकर जाएंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश युलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित दिमिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
2-3-20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिषेक्त्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उनाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रादली पर उपलब्ध अन्तर्दृश्य की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा दिया जाए। यदि किसी प्रकर की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा समूल तथ्यों से युलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- ।।।(उनिनोसीभ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा मे.

श्री कुलदीप सिंह राठी पुत्र श्री श्यामपाल सिंह राठी  
अनुक्रमांक-477040500  
निवासी-ग्राम-कस्बा व पो० टीकरी तह० बडौत थाना छोछर  
जनपद-बागपथ-250625

दिष्य-


उपनिरीक्षक नां०५०४०८०/स्लाटून कमांडर स्टैटी भर्ट-२०११ के सम्बन्ध में स्टिल अपील संख्या ११४८, ७०४ अलोक कुमार सिंह व अन्य में मां० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिनोसीभ०/स्लाटून कमांडर शीर्षकी सीधी भर्ती-२०११ के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों ने से स्लाटून कमांडर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उनिनोसीभ० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुपयुक्त, अनुस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर घले जाने, अचयनित अथवा नेता हेतु इच्छुक न होने अदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अन्दरे पदों सहित कुल-८३३ एवं के सापेक्ष ७६९ (६८५ उनिनोसीभ० + ८४ स्लाटून कमांडर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोफेशनल बोर्ड, लखनऊ के पठ संख्या:पीआरपीबी-भ-५७५/२०१८ दिनांक 20-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६६५ उनिनोसीभ० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती वर्ष २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नां०५०४०८० के पद पर चयन के पश्चात् बोर्डिंग प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को साठ कल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में डास्पोर्ट साइज १० फोटो/लपण ४००० में एडवास, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जाएंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यपित कराकर शपथ पठ अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना हुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड ग्राप्ट करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरन्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय चम्पालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्रिक

उत्तर प्रदेश: ३०

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपत के इस निर्देश के साथ व्येषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रगति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिषेत के दिनांक १६-०३-२०२० से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव के उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये; यदि किसी ग्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा अपर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, वर्तुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पॉच- ।।। (उ०नि०स००८०-२०११) २०१९

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा मे.

श्री निर्देश कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक-437150203

निवासी-ग्राम-भुडपुर डा० रजपुरा मवाना रोड (मेरठ) थाना भवनपुर  
जनपद-मेरठ-250001

दिष्ट:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-२०११ के सम्बन्ध में स्थिति अप्रैल संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य मेरे साथ उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०स००८०/प्लाटून कमाण्डर फीरसी सीधी भर्ती-२०११ के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्युक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीर्घ में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्वर्ष पदों सहित कुल-833 पदों के सावेक 769 (685 उ०नि०ना०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टरी बोर्ड लखनऊ के एवं संख्या: अपरीषी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के फलस्तल पर 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपर्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के एवं पद पर चयन के दश्यात् देसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में एसपीटर साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मैस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जाएंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उपलब्ध चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की रेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गए प्रारूप-१ एवं २ से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतर अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानी एवं न्यायालय में योजित टिक्किन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कर्दालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न केया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उनिमित्तीय-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री आविद अली पुत्र श्री जाकिर अली

अनुक्रमांक-477120149

निवासी-ग्राम-मौ० शेखपुरा अचार वाले की गली निकट नूर मस्जिद खेकडा थाना खेकडा

जनपद-बागपथ-250101

विषय:-


उपनिरीक्षक नाम्पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिद्धिल अधील संख्या: 11370/2018 अलेक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिमित्तीय-2010/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिमित्तीय-2010 के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्युक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण फीच में छोड़कर चले जाने, अद्यनित अध्ययन सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के संघेक 769 (685 उनिमित्तीय-2010 + 81 प्लाटून कमाण्डर) का अध्ययन परिणाम उन्होंने पुलिस भर्ती एवं प्रेलालि दोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भा-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तर पर 685 उनिमित्तीय-2010 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नाम्पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान ने दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दी।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पदानुसारी लंबाई में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एड्डास, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशिवल स्टाम्प घेव पर अकित कराकर तथा नोटरी से स्त्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुयालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार टाइपेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई गाड़ी भत्ता देणे नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उपरान्त पर योजित दिनिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, भेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्बद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा स्मूर्झ तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, बतुर्थतल, सिगनेचर बिलिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पॉच- 111 (उपनिमीमो-2011) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

राजा में

श्री मोहित उज्जवल पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह  
अनुब्राह्मांक-477020220  
निवासी-ग्राम-व पो1 सिरसलगढ थाना बिनौली विधाया बिनौली तह0 बडौत  
जनपद-बागपत-250345

दिव्यद-

उपनिमीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य ने ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा लारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उपनिमीमो/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चरमित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उपनिमीमो के पद पर चयनित 537 (जो अनुष्युम्ति अनुपरिधित अभियोग पंजीकृत होने प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर ढले जाने, अद्यनित अथवा स्थाने होते इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्य पदों सहित कुल-833 पदों के स्पेक्ट 769 (685 उपनिमीमो + 84 प्लाटून कमाण्डर) के चयन परिणाम उपनिमीमो प्रुलिस भर्ती एवं प्रोलंगे बोर्ड लखनऊ के ज्वर संख्या: पीआरपीटी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के कलस्टरप 685 उपनिमीमो के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उप्युक्त अभ्यर्थियों को अधारमूल प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिमीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारमूल प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त ऐंट्रिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति फोटो आईडी० स्वं जर्यात संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडटास, जहन्नम के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की देवस्टाइट घर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प देपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अप० पाठ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का ईर्ष्यालेज अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई दाता भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यदाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मननीय अधिकालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिषेक को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पञ्चादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी ली कोटेज्मेन्ट से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी द्रकार की कोई मिलता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यदाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- ।।।(उनिनोसी०म०-2011)2020

दिनांक:मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री सचिन कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक-437080282

निवासी-ग्राम-म०न० ए/33 ऋषिनगर दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास बागपत रोड थाना टीपी नगर  
जनपद-मेरठ-25001

दिष्ट:

उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिर अपील संख्या: ११३७०/२०१८ अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०निनो०प०/प्लाटून कमाण्डर दीर्घी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०निनो०प० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथदा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नारी मात्री रिक्ति) एवं २२६ अन्नभरे पदों सहित कुल-८३३ पदों के संप्रेक्ष ७६९ (६८५ उ०निनो०प० + १ उ०निनो०प० कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६८५ उ०निनो०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती वर्ष २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् डेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पथों संख्या में पासपोर्ट साइज १० फोटो/रूपया ४००० में से एडगांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की डेब्साइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुडीशियल स्टाम्प एपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में नियमित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णालय अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय  में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तंबर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिषेक को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोप्राक से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अदगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पॉच- ।।। (उनिमीसी-0भ0-2011) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री सत्पेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री मोहर सिंह रावत

अनुक्रमांक-439180255

निवासी-ग्राम-व पो० समस्पुर थाना खुर्जा नगर

जनपद-बुलन्दशहर-203132

दिष्ट्य:-

उपनिरीक्षक नामु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एसित निर्णय दिनांक 27-11-2018 रख 25-07-2019 के द्वारा उनिमीसी-0भु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के उन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के एवं पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिमीसी-0भु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुस्थित, अभियोग दर्जीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अद्यनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के संप्रेषण 769 (685 उनिमीसी-0भु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उनिमीसी-0भु० पुलिस भर्ती एवं प्रोफेशनल बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिमीसी-0भु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के प्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्सोनल संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से रुकावत् पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेलसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गए प्ररूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प ऐपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवर्द्धनों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में घोषित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, जांच/कार्रिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदत्त प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि दक्षावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमदवाद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्भूत तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-222010  
संख्या-पैच-111(उठनी0सी0भ0-2011)2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री अंकुर राठी पुत्र श्री रविकान्त राठी

अमुक्तमांक-437080180

निवासी-ग्राम-131/140 शिव शक्ति नगर थाना ब्रह्मपुरी मेरठ

जनपद-मेरठ-25002

टिप्पणी-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिद्धि अदील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उठनी0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उठनी0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुद्युक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर छले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उठनी0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उठनी0पुलिस भर्ती एवं प्रेलिंस बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तर पर 685 उठनी0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारमूल प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती दर्श 2011 से सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बोर्डके प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारमूल प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

अप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेंस रुदात्स, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि अप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही अप उत्तर प्रदेश पुलिस की बैबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- को नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना निश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवर्द्धनों का पूर्णलेख अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइफेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्यता न्यायालय में घोषित दिनिन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे देश उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कर्तव्यही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल एक्राइली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि एक्राइली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैक्च-11।(उनिःसीभ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री दिलीप कुमार चौबे पुत्र आद्या प्रसाद चौबे

अनुक्रमांक-465140409

निवासी-ग्राम-मज़रिया पोस्ट डेवडारतुला थाना हरपुर बुद्धहट

जनपद गोरखपुर पिन-273212

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिदिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निःना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निःना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्मेर पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निःना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निःना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण)

दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित दिभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्वात करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैच- 111(उ0नि0सी0भ0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री धीरेन्द्र राय पुत्र आशुतोष राय

अनुक्रमांक-465150172

निवासी-ग्राम व पोस्ट मन्नीपुर शहडौली थाना गोला

जनपद गोरखपुर पिन-273408

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिदिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अमियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575./2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुशादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिषेन्ट्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुशादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिग्रहण दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, वर्तुर्थतल सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पैच-11।(उनिनोसीभा०-२०११)२०१९ दिनोंक:मार्च ७, २०२०

सेवा में,

श्री उदय प्रताप सिंह पुत्र स्व० उमांशकर सिंह  
अनुकमांक-476010887  
निवासी-ग्राम शंकरपुरा पो० कोड़ा(मझौली राज) थाना भाटपाररानी  
जनपद देवरिया पिन-274702

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निनोपु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अम्यर्थीयों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अम्यर्थी तथा उ०निनोपु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीव में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निनोपु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निनोपु० के पद पर चयनित अम्यर्थीयों में से उपयुक्त अम्यर्थीयों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्त्रीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपभानिरीक्षक, अराध/कर्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अम्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अमिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिसेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अम्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अम्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अम्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अमिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

ठावर-1, घुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- ।।। (उठनी०सी०म०-2011)2019

दिनांक: मार्च ७, 2020

सेवा में,

श्री शेषनाथ पाण्डेय पुत्र रामप्रसाद पाण्डेय

अनुक्रमांक-459090013

निवासी-ग्राम-बलुआ भवानी बक्स सिंह (पाण्डेयपुरा) पो० कूरीबाजार

थाना बेलधाट

जनपद गोरखपुर पिन-273404

विषय:-

उपनिरीक्षक नाठ०पु०/प्लाट०न कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उठनी०पु०/प्लाट०न कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाट०न कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उठनी०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उठनी०ना०पु० +84 प्लाट०न कमाण्डर) का चयन परिणाम उठ०प० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उठनी०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अद्वगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नाठ०पु० के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडगास, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतीबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रमाणीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।  
२०२०

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिसेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिन्ता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस नुस्खालय को अद्वगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये, संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- ॥ (उ०नि०सी०भ०-2011)2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अतुल कुमार मिश्र पुत्र हरिशंकर मिश्र  
अनुक्रमांक-476010144  
निवासी-ग्राम-व पोस्ट मरकड़ा थाना मलुआनी  
जनपद देवरिया पिन-274601

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अदागत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्त्रिमीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिषेन्ट को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित ली जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अटागत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, घटुर्थल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- 11।(उ0नि0सी0भ0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री रंजीत कुमार मिश्र पुत्र प्रद्वन्न मिश्र  
अनुकमांक-476080302  
निवासी-ग्राम पिपरा रामधर पोस्ट पिपरा रामधर थाना मईल  
जनपद देवरिया पिन-274509

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पद संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एमआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी10 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7-3-20  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, आपाध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस न्यायालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टाकर-1, वृथार्थतल, सिगनेचर बिलिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पैच- 111(उ०नि०ना०प०-२०११)२०१९

दिनांक: मार्च ७, २०२०

सेवा में,

श्री अभय कुमार बाजपेई पुत्र राधेश्याम बाजपेई

अनुक्रमांक-465140421

निवासी-ग्राम-व पोस्ट बौठा बाया बरही थाना झगहा

जनपद गोरखपुर पिन-273405

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा०० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०प०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०प० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अद्वगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अधिन दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, बतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पौच- ।।(उनिनी०८०-२०११)2019 दिनांक:मार्च ७, 2020

सेवा में,

श्री दिविजय यादव पुत्र स्ट सुरेन्द्र नाथ यादव  
अनुक्रमांक-466050578  
निवासी-ग्राम-व पोस्ट बड़गहन थाना गीड़ा  
जनपद गोरखपुर पिन-273212

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिनी०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिनी०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिनी०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उप्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिनी०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अर्थर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइल प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्यक्रम  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- 11(उनिनी0पॉ-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री कुवर दीर विक्रम सिंह पुत्र शम्भू सिंह  
अनुकमांक-476010440  
निवासी-ग्राम-कुल्हुआ पोस्ट देवरिया थाना कोतवाली  
जनपद देवरिया पिन-274001

विषय:-


उपनिरीक्षक नाइपु/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अधील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य ने माइ 0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिनी0पॉ/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिनी0नाइपु के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिनी0पॉ +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उप्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिनी0नाइपु के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नाइपु के पद पर चयन के पश्चात् देसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
7.3.20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस न्यायालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- ॥।(उ0नि0सी0भ0-2011)2019

दिनांक:मार्च ४, 2020

सेवा में,

श्री विवेक कुमार यादव पुत्र विजय कुमार यादव

अनुकमांक-476040152

निवासी-ग्राम-माधवपुर पोस्ट रावतपुर थाना लार

जनपद देवरिया पिन-274502

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्त ने मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, बन्धुवर्थकल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- ।।(उ०नि०सी०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री सूर्यसेन सिंह पुत्र वशनाथ सिंह

अनुक्रमांक-459070423

निवासी-ग्राम व पोस्ट रामपुर गोपालपुर थाना गुलरिहा

जनपद गोरखपुर पिन-273007

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा०० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अव्ययनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अदगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुशदाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अस्थर्घन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुशदाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित भी जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- ।।। (उ0नि0सी0भ0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री अमरनाथ चौरसिया पुत्र हरीसाम चौरसिया

अनुक्रमांक-465120454

निवासी-ग्राम कन्दराई पोस्ट मिश्रौलिया थाना खजनी

जनपद गोरखपुर पिन-273401

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-8-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण)

दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी10 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 में से एडवांस, पहनने के बस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतीबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानी न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/चपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थांतल, सिगनेवर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0भ0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विनय प्रकाश गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता  
अनुकमांक-465060307  
निवासी-ग्राम-मायाबाजार दक्षिण फाटक कोतवाली रोड कोयला गली  
थाना कोतवाली  
जनपद गोरखपुर पिन-273001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अम्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अम्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग घंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0-84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अम्यर्थियों में से उपयुक्त अम्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशीयल स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे; इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अम्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अम्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अम्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अम्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, घुर्थतल, सिंगनेहर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- 111 (उ०नि०सी०मा०-२०११) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अनिल कुमार यादव पुत्र श्री गुलाबदत्त यादव

अनुक्रमांक-459070381

निवासी-ग्राम महीद सुखपुर पोस्ट शिवपुरी नई कालोनी थाना खोराबार  
जनपद गोरखपुर पिन-273016

विषय-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिदिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० ०८ उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पर्जीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर चले जाने, अद्यनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अनभरे पदों सहित कुल-८३३ पदों के सापेक्ष ७६९ (६८५ उ०नि०ना०पु० +४४ प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र तथ्याःपीआरपीबी-भ-५७५/२०१८ दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६६५ उ०नि०ना०पु० ले पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-४-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण)

दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती वर्ष २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज १० फोटो/रूपया ४००० मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमश: रु ३२/- एवं ४२/- के नानुजीशियल स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इकत्र प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट यात्रिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिषेन्ट्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार वा कोई मिलता/प्रतिकूलता याई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्यते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल सिंगनेचर बिल्डिंग, गोक्तीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पैच- 111 (उनिंसी०भ०-२०११) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री धनश्याम यादव पुत्र श्री भीम यादव

अनुकमांक-476010596

नेवासी-ग्राम-नूनखार गांगीपोस्ट नूनखार थाना खुखन्दु

अनपद देवरिया पिन-274501

विषय:-

प्रपर्णिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अप्रील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में सा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिंसी०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर ५ पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उनिंसी०ना०पु० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग जौकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अनमर पदों सहित कुल-८३३ पदों के सापेक्ष ७६९ (६८५ उनिंसी०ना०पु० ५४४ प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्लति बोर्ड, लखनऊ के पत्र न्यायालयीआरपीडी-भ-५७५/२०१८ दिनांक 20-09-2018 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६८५ उनिंसी०ना०पु० ५ पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

योग्य अद्यगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आद्यतित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से दर्शये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

किंकण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त उर्फ़ें। इन प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

2-2-20  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/ कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

निलिपि:-पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने तक उसके स्वृच्छा करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

निलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिषेन्न को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूदूरनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

निलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित हो जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार वे कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस उपलब्ध लो अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल सिंगनेवर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैच- 111(उ0नि0सी0भ0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री धर्मपाल सिंह पुत्र रामवृष्ट

अनुक्रमांक-465090076

निवासी-ग्राम-कुछडेहरी पोस्ट व थाना हरपुर बुद्धहट

जनपद गोरखपुर पिन-273209

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
7-2-20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कर्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिषेक्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई निन्ता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टाकर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैक्च- ॥।(उनिमीठो-2011)2019

दिनांक:मार्च ७, 2020

सेवा में,

श्री चन्द्रशेखर सिंह पुत्र पारसनाथ सिंह

अनुकमांक-476010537

निवासी-ग्राम-जिगनी मुसाहब खाँ (मेदनीपुर) थाना रामपुर कारखाना

जनपद देवरिया पिन-274206

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निमीठो/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निमीठो के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निमीठो पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०पु० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निमीठो पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रनाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेन्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
२२.२.२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रतिक्रिया का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हेतु।

प्रतिलिपि:-स्वस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता दाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को ज्ञानत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्रस्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- ॥।(उनिमीसीभ०-2011)2019

दिनांक:मार्च ७, 2020

सेवा मे

श्री हेमू पटेल पुत्र श्री श्रीराम वर्मा

अनुक्रमांक-462070414

निवासी-ग्रम व पो० व थाना आँग

जनपद फतेहपुर 212665

दिष्य:-

उपनिरीक्षक न०पु०/प्लाट० कमांडर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में म.० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निमीसीभ०/प्लाट० कमांडर दीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अम्यर्थीयों में से प्लाट० कमांडर के पद पर चयनित 70 अम्यर्थी तथा उ०निमीसीभ० के पद पर चयनित 537 (जो अनुष्टुक्त, अनुष्टुक्ति, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मनी गई रिक्त) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 जदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निमीसीभ० + 84 प्लाट० कमांडर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्हति बोर्ड लखनऊ के एवं संख्या-पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निमीसीभ० के पद पर चयनित अम्यर्थीयों में से उपष्टुक्त अम्यर्थीयों के अधारमूल प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अद्यगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारमूल प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 नेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिए गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशा रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शाष्य पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतरिक्ष प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबद्धों का पूर्णस्वरूप अनुपालन किया जाएगा; प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में परित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ ग्रेहित है कि वे कृपया उक्त अम्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक स्थित हस्ताक्षर द्वारा कराया जाना चाहिए।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रधानमंत्री एवं रिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद के उक्त अम्यर्थ की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु ब्रेवित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अम्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि इकाइ की कोई मिल्टा/प्रतिकूलता यह जाती है तो उक्त अम्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्यगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अंग्रेट कार्यदाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या:पॉच-111(उपनिमीभा-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अरविंद कुमार यादव पुत्र श्री बचउ प्रसाद यादव  
 अनुक्रमांक-429090163  
 निवासी-129/6ए महावीरपुरी तेलियरगंज थाना शिवकुटी  
 जनपद प्रयागराज 211004

**दिव्य-** उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के स्मृति अंडैल संख्या 11370/2018 अलोक कुमार सिंह ठ अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0निमी0पु0/प्लाटून कमाण्डर दीर्घी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0निमी0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्रयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अध्ययन सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्त) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0निमी0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोमोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: अरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0निमी0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती दर्ज 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अम्बर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेलसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कन्सल्ट रुपया 32/- एवं 42/- के नान्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर अकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किट जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्रारूप करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यालयी हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल जन्माली संलग्न कर अप्रेत कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्राली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन करा लिया जाये। यदि किसी प्रकर की कोई शिल्प/प्रतिकूलता यह जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अनन्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये। मध्य सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अटगत करते हुये अधिन दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेत कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्राली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थी बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- ।। (उ०नि०सी०भ०-2011)2019

दिनांक: मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री सूर्यमान  
अनुक्रमांक-462090499  
निवासी-ग्रम उसरहा खेड़ा पो० मौहार थाना बकेवर  
जनपद फतेहपुर 212665

दिष्ट्य:-

उपनिरीक्षक न०८००/प्लाटून कमांडर सीई भर्ती-२०१ के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या ११३७०/२०१८ अलोक कुमार सिंह द अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा घरित निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०नि०८०००४०/प्लाटून कमांडर सीई सीई भर्ती-२०११ के अन्तर्गत घटनित अम्बर्थीयों में से प्लाटून कमांडर के पद पर घटनित ७० अम्बर्थी तथा उ०नि०८०००४० के पद पर घटनित ५३७ (जो अनुपद्युत, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अद्यनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के करण मनी गयी रिकॉर्ड) एवं २२६ अन्मरे घटों सहित कुल-८३३ घटों के सापेक्ष ७६९ (६८५ उ०नि०८०००४० + ८४ प्लाटून कमांडर) का घयन परिणाम उ०प्र०० पुलिस भर्ती रूट प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरीबी-८-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप ६८५ उ०नि०८०००४० के पद पर घटनित अम्बर्थीयों में से उपद्युत अम्बर्थीयों के अधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीई भर्ती दर्व २०१ से सम्बन्धित घटनित उपनिरीक्षक न०८०० के पद पर घयन के पश्चात् बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक १६-०३-२०२० से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज १० कोटो/रूपय ४००० मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कराना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका घयन/ अम्बर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नान्जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यपित कराकर शक्त पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णकरण अनुपलब्ध किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही घयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मनीष न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अम्बर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने रस्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज दरिक्षेत्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कर्त्तव्यहीं हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अम्बर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अंतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि उद्वादली पर उपलब्ध अम्बर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाए। यदि किसी प्रकार यी कोई मिलता/प्रतिकूलता दर्द जाती है तो उक्त अम्बर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा समूर्प तथ्ये से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिन दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए। संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)